(b) The report was found to be wrong. Investigations have revealed that the train was detained for only 5 minutes due to alarm-chain pulling by a passenger whose luggage was left behind.

दिल्ली में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित विदेशी कलाकार

2881. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में कितने विदेशी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है तथा कौन-कौन से देश से;

(ख) क्या इनमें पाकिस्तानी कव्वाल भी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन पाकिस्तानी कव्वालों की वीसा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इन्हें यहां रोका गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव सोसायटी, दिल्ली के अनुसार आठ पाकिस्तानी कव्वालों को, जो पहले से ही भारत में थे, दिल्ली में आयोजित किये गए राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय द्वारा इन पाकिस्तानी कव्वालों की भारत में ठहरने की अवधि को 27 नवम्बर, 1986 तक बढ़ाया गया था, ताकि वे उत्सव में भाग ले सकें।

रेल सेवा आयोग, जम्मू द्वारा भर्ती में बरती गयी अनियमितताएं

2882. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1985 में रेल सेवा आयोग, जम्मू-श्रीनगर द्वारा रेलवे में भर्ती के लिये ली गयी परीक्षा में अनियमिततायें बरती गयीं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं जिनमें रेल सेवा आयोग जम्मू-श्रीनगर द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों के लिये दिसम्बर, 1985 में ली गयी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों में से कुछ को साक्षात्कार हेतु जम्मू में बुलाने के बाद आयोग ने साक्षात्कार के लिये अयोग्य घोषित कर दिया ;

(ग) सहायक स्टेशन मास्टर के पदों के लिये ऐसे कितने अभ्यर्थी थे, जिनका उक्त आयोग भर्ती बोर्ड ने साक्षात्कार लेने से इन्कार किया है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) रेल भर्ती बोर्ड, (जो पहले रेल सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था) जम्मू और श्रीनगर ने रोजगार सूचना संख्या 1/85 (कोटि संख्या 9) के अंतर्गत सहायक स्टेशन मास्टरों की भर्ती की थी, जिसके लिए 8-12-85 को लिखित परीक्षा ली गयी थी। एक उम्मीदवार को, जो "स्नातक" होने की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करता था, भूल से पहले लिखित परीक्षा के लिये और बाद में साक्षात्कार के लिये बुला लिया गया था। उसे साक्षात्कार के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वह स्नातक नहीं था। उससे प्राप्त अभ्यावेदनों को उत्तर दिया जा रहा है। उम्मीदवार को